

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the 37-Khandela Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Shri SUBHASH MEEL

VILL. POST SOUTHLIYA TEH. REENGUS DIST. SIKAR (RAJ.)

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Sikar

Dated – 03 December 2023



Brajesh Kumar-II

Returning Officer

Assembly Constituency 37-Khandela

(Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate, Khandela)

Returning Officer

Assembly Constituency (037) Khandela

(Sub. Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate)

Khandela (Sikar)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

37-खण्डेला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री सुभाष मील

ग्राम पोस्ट सौंथलिया तहसील रींगस जिला सीकर, राजस्थान
जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान - सीकर

दिनांक - 03 दिसम्बर 2023


बृजेश-कुमार-II

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 37-खण्डेला

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खण्डेला)

रिटर्निंग ऑफिसर
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (037) खण्डेला
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)
खण्डेला (सीकर)